न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 49 आर 15/07–08

राजेश लकड़ा वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

पारस लोहरा वगैरह प्रतिवादी

आदेश

17

27.06.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 40/06–07 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची द्वारा दिनांक 28.2.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध दायर वाद में मामले को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संधारणीय नहीं मानते हुए अंचल अधिकारी, माण्डर को निर्देश दिया है कि विवादित जमीन पर से प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का अतिक्रमण हटा दें।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
कंजिया	8	1218	07 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में कमल लोहार वो सोमरा लोहार पिता हलधर लोहार वो मो0 लेदु लोहराइन के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज थे। यह जमीन खतियान में घरबाड़ी दर्शाया हुआ है। खतियान के कैफियत कॉलम में बकब्जे लिटिया उरॉव पिता पदुआ उरॉव का 1927 से दखल जबानी जरपेशगी के आधार पर दर्ज है। लिटिया उरॉव वर्तमान अपीलकर्ता के पूर्वज थे। बर्ष 1927 से विवादित जमीन पर लिटिया उरॉव का दखल था एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र देवा उरॉव का दखल हुआ। वर्तमान अपीलकर्ता देवा उरॉव के पुत्र हैं। बर्ष 1951 में कमल लोहार वगैरह ने विवादित जमीन पर मकान बनाने एवं अपीलकर्ता के पिता के दखल को बाधित करने का प्रयास किया जिसके कारण अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में धारा 145 द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत वाद संख्या एम 817/1951 दोनों पक्षों के बीच चला। उस वाद में कार्यपालक दण्डाधिकारी के0 पी0 गोराई के न्यायालय द्वारा देवा उरॉव का दखल घोषित किया गया। देवा उरॉव की मृत्यु के बाद से अपीलकर्ता विवादित जमीन एवं मकान

के दखल में हैं। अपीलकर्ता ने कुछ अतिरिक्त निर्माण भी किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 किराये पर रहते हैं। इसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्न न्यायालय में जमीन वापसी का वाद प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध दायर किया जो विवादित मकान में किरायेदार के रुप में रहकर इसकी देखभाल करते हैं। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खतियानी रैयत उनके पितामह थे। खतियानी रैयत ने विवादित जमीन लिटिया उरॉव को जरपेशगी के रुप में दिया था। परन्तु बाद में रुपया वापस कर दिया गया जिसका रसीद भी प्राप्त हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान सर्वे में बण्डा पर्चा भी भावन लोहार वगैरह के नाम से बना है एवं अद्यतन लगान का भी भुगतान किया गया है।

वर्तमान वाद में उपलब्ध सभी तथ्यों और कागजी प्रमाणों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी का मकान अवैध रुप से कब्जा कर रखा है और ऐसे मामलों में अवैध दखलकार का बेदखल कर खतियानी रैयतों के वंशजों को भूमि वापस होना चाहिए। दस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश सही है और इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। दखल दिलाने हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, माण्डर और निम्न न्यायालय को भेजें।

दिनांकः— 27.06.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।